

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी सिविल लाईन जयपुर।

क्रमांक: एफ 6 (2) एससीएसपी / जिस्तरअमी / सान्याअवि / 15 / ¹²³⁴⁷⁻⁴⁰⁷ जयपुर दिनांक 19-8-2015

1. उप निदेशक / सहायक निदेशक /
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.....
2. अधीक्षक,
महिला सदन / नारी निकेतन / शिशु गृह / बालिका गृह / मानसिक विमन्दित एवं बाल
पुनर्वास गृह / सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह / वृद्धाश्रम,
.....

विषय:- विभागीय जिलाधिकारियों / कर्मचारियों की आमुखीकरण कार्यशाला दिनांक
23.8.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय जिलाधिकारियों / कर्मचारियों की आमुखीकरण कार्यशाला दिनांक 23.8.2015 को प्रातः 9.30 से सांय 6.00 बजे तक बिडला ऑडिटोरियम, स्टेच्यू सर्किल जयपुर में आयोजित की गयी है।

1. जिलाधिकारीगण अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारी / लेखाकर्मी / सूचना सहायक / मंत्रालयिक कर्मचारी / छात्रावास अधीक्षकों सहित
2. निदेशालय सान्याअवि, बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन के समस्त अधिकारी, लेखाकर्मी, सांख्यिकीकर्मी, मंत्रालयिक कर्मचारी एवं सूचना सहायक सहित


उक्तानुसार आमुखीकरण कार्यशाला में निर्धारित दिनांक एवं समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। आमुखीकरण कार्यशाला में संस्थापन सम्बन्धी तथा विभागीय योजना सम्बन्धी कार्यों पर चर्चा की जायेगी। अनुपस्थिति कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

महिला सदन / नारी निकेतन / शिशु गृह / बालिका गृह / मानसिक विमन्दित एवं बाल पुनर्वास गृह / सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह / वृद्धाश्रम, में कार्यरत केयर टेकर एवं नर्सिंग स्टाफ आदि अपने पदस्थान स्थान पर उपस्थित रह कर अपना सामान्य कार्य सम्पादित करेंगे। रविवार को कार्य दिवस घोषित करने के एवज में नियमानुसार कार्मिक एक अतिरिक्त क्षतिपूति अवकाश ले सकेंगे।

^{19.8.15}
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सहायक निदेशक, विशेष योग्यजन निदेशालय, राज. जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण मुख्यावास.....आवश्यक रूप से उक्त कार्यशाला में उपस्थित हों।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास उक्त आमुखीकरण कार्यशाला आयोजना सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बावत।
8. समस्त कर्मचारी मुख्यावास उक्त आमुखीकरण कार्यशाला में आवश्यक रूप से उपस्थित हों।
9. केयर टेकर/स्टोर कीपर मुख्यावास को आवश्यक व्यवस्थार्थ।
10. आदेश पत्रावली।


(संधाकृष्ण.मीना)
उप निदेशक(कार्यालय प्रशासन)